

कार्यालय आयुक्त एवं निबंधक सहकारिता उ०प्र०।
परिपत्रांक 41 / कृषि निवेश / बी-250(टी०सी०-1) दिनांकः लखनऊः अक्टूबर, 2017

1-समस्त सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक,
सहकारिता उ०प्र०।

2-समस्त सचिव / महाप्रबन्धक,
जिला सहकारी बैंक लि०।

3-समस्त जिला प्रबन्धक
पी०सी०एफ०, उ०प्र०।

विषय-कृभको आयातित डी०ए०पी० की दिनांक 15.09.2017 से आपूर्ति एवं फुटकर
बिक्री दरो के सम्बन्ध में।

मुख्य राज्य प्रबन्धक विपणन कृभको लखनऊ ने अपने पत्र सं० 6015 दिनांक
29-09-2017 द्वारा कृभको आयातित डी०ए०पी० आपूर्ति एवं फुटकर बिक्री दरो मे
दिनांक 15-09-2017 से कमी किया जाना है, से अवगत कराते हुए नई आपूर्ति दरे
निम्नानुसार संसूचित किये जाने का अनुरोध किया है। उक्त कम मे आयातित डी०ए०पी०
की नवीन दरे निम्नवत संसूचित की जाती है :-

(धनराशि रू०में)


क्र० सं०	विवरण	कृभको आयातित डी.ए.पी.18:46 (प्रति मै०टन)
1	बेसिक प्राईस	20495.24
2	लेस - डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिन	480.00
3	इश्यू प्राईस(एक्स फैक्ट्री)	20015.24
4	लेस- विशेष छूट	495.24
5	नेट टैक्सेब्यूल बैल्यू	19520.00
6	एडड-सी०जी०एस०टी० 2.50%	488.00
7	एडड-एस०जी०एस०टी० 2.50%	488.00
8	इन्वाईस प्राईस	20496.00
9	एडड- डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिन	480.00
10	डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिन पर सी०जी०एस० टी०	12.00
11	डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिन पर एस०सी०जी० एस०टी०	12.00


2. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, पीसीएफ/यू०पी०सी०बी०, उ०प्र० ।
3. समस्त मण्डलीय उप/संयुक्त आयुक्त एवं उप/संयुक्त निबन्धक, सहकारिता, उ०प्र० ।
4. अपर आयुक्त एवं अपर निबन्धक, (कम्प्यूटर/वेब मास्टर) सहकारिता, उ०प्र०, मुख्यालय को वेबसाईट पर अपलोड करने एवं सम्बन्धित के ईमेल पर प्रेषण हेतु ।
5. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
6. प्रबन्ध निदेशक, पीसीएफ, लखनऊ ।
7. समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र० ।
8. समस्त मंडलायुक्त, उ०प्र० ।
9. प्रमुख सचिव, कृषि/सहकारिता, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
10. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ०प्र०शासन, लखनऊ ।

(राम प्रकाश)
अपर आयुक्त एवं अपर निबन्धक(कृ०नि०)
सहकारिता, उ०प्र०
लखनऊ ।

12	एम0आर0पी0(रू0/प्रति मै0टन)	21000.00
13	कृषकों हेतु फुटकर बिक्री दर प्रति बोरी 50 कि0ग्रा0	1050.00

1. उपरोक्त संशोधित आपूर्ति एवं बिक्री दरे दिनांक 15-09-2017 से दिनांक 31-10-2017 तक सहकारी समितियों को आपूर्तित होने वाली कृभको आयातित डी0ए0पी0 पर लागू होगी।
2. समितियों/बिक्री केन्द्रो पर दिनांक 15-09-2017 से पूर्व कृभको आपूर्तित डी0ए0पी0 की बिक्री नवीन दरो पर की जायेगी।
3. समितियों पर दिनांक 01-07-2017 से 14-09-2017 के मध्य नये दर से आपूर्तित डी0ए0पी0 के अवशेष सम्भार पर अन्तर मूल्य प्रतिपूर्ति रू0 520.00 प्रति मै0टन की दर से दिनांक 14-09-2017 के अवशेष सम्भार पर दी जायेगी। जी0एस0टी0 प्रभावी तथा दिनांक 01-07-2017 से पूर्व आपूर्ति कृभको आयातित डी0ए0पी0 की आपूर्ति एवं फुटकर बिक्री दर वर्तमान प्रस्तावित दर से कम थी। अतः उपरोक्त पर कोई अन्तर मूल्य देयता नही है।
4. कृभको आयातित डी0ए0पी0की आपूर्ति प्रदायकर्त्ता द्वारा एफ0ओ0आर0 के आधार पर की जायेगी।


(अनय चौहान)
आयुक्त एवंनिबन्धक
सहकारिता, उ०प्र०
लखनऊ।

परिपत्रांक :  /कृषि निवेश/बी-250(टी0सी0-1) दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि अधोलिखितकोसूचनार्थ एवंआवश्यक कार्यवाहीहेतुप्रेषित :-

1. राज्य विपणन प्रबन्धक, इफको, 8, गोखलेमार्ग, लखनऊ।